



Dr. Juned Akhter
DEAN

COLLEGE OF AGRICULTURE
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
Khemari, Baseri, Dholpur-328027
Email: dean.coabaseri@sknau.ac.in M: 9414467446

No. F. ()/Farm/COA-Bas/2026/300

Date: 02.06.2026

सीमित निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी पर हिस्सा आधारित खेती, खरीफ 2026 के लिए इच्छुक फर्मों/सेवाप्रदाता संस्थाओं/कृषकों जिनके पास पैन कार्ड एवं आधार कार्ड हो निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 10.06.2026 को दोपहर 12.30 बजे तक सीलबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्तें कार्यालय से दिनांक: 10.06.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा www.sknau.ac.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा प्रपत्र दिनांक: 10.06.2026 को दोपहर 12.30 बजे तक जमा होंगे। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन दोपहर 01.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष केन्द्र की निविदा एवं क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि (रु)	धरोहर राशि
1	फार्म की 08 हैक्टेयर भूमि पर खरीफ 2026 में हिस्सा आधारित खेती का कार्य	1.99 लाख	4000/-

अभिप्रेत
DEAN
College of Agriculture
BASERI, DHOLPUR (RAJ.)

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान निदेशक अनसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
4. कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा, कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी।
5. कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, (धौलपुर) के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
6. ग्राम पंचायत बौरैली के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
7. रक्षित फाइल।

Farm Incharge
College of Agriculture Baseri, Dholpur



Dr. Juned Akhter
DEAN

COLLEGE OF AGRICULTURE, BASERI, DHOLPUR
(SKN AGRICULTURE UNIVERSITY, JOBNER-JAIPUR)
Khemri, Boreli (Baseri) Distt. Dholpur -328027

Mob.:9414467446
Email-dean.coabaseri@sknau.ac.in

हिस्सा आधारित खेती खरीफ 2026 के लिए निविदाएं।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	हिस्सा आधारित खेती
1	बजट हेड	रिवोल्विंग फण्ड
2	कार्य की अनुमानित लागत	1.99 लाख रुपये
3	कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ 2026
4	धरोहर राशि	4000 रुपये
5	निविदा फार्म प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	10.06.2026 दोपहर 12.00 बजे तक
6	निविदा फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि	10.06.2026 दोपहर 12.30 बजे तक
7	निविदा खोलने की तिथि	10.06.2026 दोपहर 01.00 बजे
8	पत्र व्यवहार हेतु पता	अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी (धौलपुर) पिन-328027

A

W

अधिष्ठाता
DEAN
College of Agriculture
BASERI, DHOLPUR (RAJ.)



COLLEGE OF AGRICULTURE, BASERI, DHOLPUR
(SKN AGRICULTURE UNIVERSITY, JOBNER-JAIPUR)

Khemri, Boreli (Baseri) Distt.- Dholpur -328027

Dr. Juned Akhter
DEAN

Mob.:9414467446

Email-dean.coabaseri@sknau.ac.in

निविदा विवरण

क्र.स.	खरीफ 2026 बोई जाने वाली फसल का नाम
1.	ढेंचा

नोट:- चारा उपज का सम्पूर्ण हिस्सा निविदादाता द्वारा रखा जायेगा।

निविदा की शर्त :-

- 1 सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
- 2 इच्छुक व्यक्ति या फर्म महाविद्यालय में निर्धारित प्रपत्र में अपना व महाविद्यालय का हिस्सा भरकर सीलबन्द लिफाफे में निविदा जमा करवा सकते हैं।
- 3 सफल हिस्सेदार को 4000 रुपये अमानत राशि जमा करवानी होगी।
- 4 सफल हिस्सेदार को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक के विवरण की स्वसत्यापित प्रति देनी होगी।
- 5 बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग एवं गोदाम तक तोलकर रखवाने तक की सभी प्रक्रियों में लगने वाले श्रमिकों की आपूर्ति व्यय हिस्सेदार द्वारा वहन करने होंगे।
- 6 विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाये फार्म इन्चार्ज व फार्म मैनेजर/संबंधित कर्मचारी के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सारा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले औजारों की व्यवस्था स्वयं हिस्सेदार को ही वहन करनी होगी।
- 7 ट्रैक्टर सम्बन्धी कार्य तथा डिस्क प्लाउ, हैरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य आदि कि आपूर्ति महाविद्यालय द्वारा ही की जायेगी। इसके बाद में सभी खर्चे (मजदूरी एवं ट्रैक्टर संबंधी) हिस्सेदार द्वारा वहन किये जायेंगे।
- 8 बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, खरपतवारनाशी, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर इत्यादि की आपूर्ति महाविद्यालय द्वारा की जायेगी।
- 9 हिस्सेदार को सिंचाई सम्बन्धी पाईप, फव्वारे, बैंड, टी, डाट, लेजम पाईप आदि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा कार्य समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे। नही लौटाने पर इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
- 10 थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद पर ठेकेदार का कोई हिस्सा नहीं होगा तथा बंटवारे के बाद ठेकेदार को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फसल बुवाई के समय जो भी समर्थन मूल्य होगा उसके हिसाब से एवं जिन फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं हुआ हो तो उन फसलों का फसल काटने तथा थ्रेसिंग के उपरांत उत्पाद का नमूना लेकर मंडी के औसत भाव के आधार पर या महाविद्यालय द्वारा विक्रय किये के वी.वी.एस.एस. दर पर उस हिस्से के उत्पाद का चैक द्वारा भुगतान फार्म प्रभारी की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने एवं कोष कार्यालय से प्रीआडिट होने पर कर दिया जायेगा। ठेकेदार के भुगतान के उपरान्त महाविद्यालय अपने उत्पाद को किसी भी रूप में बेचे इसमें ठेकेदारों को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 11 फार्म पर कृषि कार्यो के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप काटने, विजली से अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी हिस्सेदार की होगी।
- 12 फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इकट्ठा करना है व कितने ढेर बनाने है इसके लिये फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क करना होगा। थ्रेसिंग का कार्य सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक किया जावेगा।
- 13 फसल की थ्रेसिंग के पश्चात् साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म मैनेजर/फार्म इन्चार्ज द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों की धांग हिस्सेदार को लगानी होगी। वजन तोलते समय नमी एवं कचरे का 2 प्रतिशत काटा जावेगा।
- 14 गोदाम में उत्पादन की धांग लगाकर रखने के बाद उत्पाद को महाविद्यालय द्वारा मंडी या इच्छित स्थान पर भेजने के लिये लोडिंग के लिये उपलब्ध करवाये जाने वाली लेबर हिस्सेदार की होगी इसके बाद ही निविदा पूर्ण मानी जायेगी।
- 15 फसलों की थ्रेसिंग के लिए थ्रेसर व ट्रैक्टर व डीजल निविदादाता द्वारा वहन करना होगा व लेबर निविदादाता के होंगे।
- 16 कटाई के बाद फसलों को इकट्ठा करने एवं थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिये ट्रैक्टर ट्रॉली फार्म द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी।
- 17 पम्प व ट्यूबवैल मोटर ऑपरेशन निविदादाता को ही करना होगा। सिंचाई हेतु पंप सेट व डीजल की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जायेगी।
- 18 आवास की व्यवस्था हिस्सेदार को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।

A

W

W

- 19 फार्म की फसलों की रखवाली दिन-रात की हिस्सेदार द्वारा की जावेगी। कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी तथा वृ कार्य के दौरान पूर्व में लगे हुए फल वृक्षों तथा सिचाई व अन्य नालियों को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
- 20 निविदादाता बुवाई, सिचाई, खरपतवार नियंत्रण, कीट एवं बीमारियों के पेस्टीसाइड का छिड़काव, रोगिंग, फसल कटाई, फसल इकट्ठा करना, थ्रेसिंग, बोरियां भरना व बोरियों की गोदाम में धांग तथा फसल के दौरान लगने वाले श्रमिक निविदादाता को उपलब्ध करवाने होंगे।
- 21 महाविद्यालय के पास उपलब्ध उपकरणों के अलावा किसी अन्य उपकरण कि आवश्यकता होने पर निविदादाता को स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
- 22 प्रथम वरियता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरियता पार्टी को कार्य का आदेश प्रभारी अधिकारी दे सकेंगे। अनुबन्ध की अवधि आदेश की तारीख से ठेका खत्म होने तक मान्य होगा। अनुबन्ध की अवधि कार्य संतोषजनक होने पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् आपसी सहमति से अगले सीजन के लिये बढ़ाई जा सकती है।
- 23 फार्म प्लॉट के आसपास रोड़ तथा रास्तों पर होने वाली खरपतवार भी समय-समय पर हटानी होगी जिससे फसल के उत्पादन पर कोई प्रभाव ना हो।
- 24 निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी। तथा हिस्सेदार या उसके मजदूर फार्म पर मदिरा या अन्य नशा सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे।
- 25 फार्म कार्य संतोषजनक नही होने पर अधोहस्तरकर्ता को निविदा को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। तथा जमा अमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा। जो कि हिस्सेदार को मान्य होगा।
- 26 किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 27 अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 28 इन सभी कृषि कार्यों हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
- 29 फार्म पर मौसम परिस्थितियों/निर्देशानुसार फसलों या फसलों के क्षेत्रफल में बदलाव करने का अधिकार कृषि महाविद्यालय का होगा।
- 30 सफल निविदादाता को 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तों के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
- 31 निविदादाता सम्पूर्ण फसल मौसम में श्रमिकों का भुगतान स्वयं करेगा।
- 32 अनुमोदित निविदादाता को कार्यदेश जारी किये जाने से पूर्व निविदा स्वीकृति के सात दिवस में रु. 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित कराना होगा व 2 प्रतिशत अमानत राशि जमा करवानी होगी।
- 33 अन्तिम भुगतान हेतु ठेकेदारों को सभी श्रमिकों का कार्य का भुगतान कर देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 34 किसी भी कृषि कार्य को मौसम के अनुसार रोकने व चालू करने का अधिकारी फार्म प्रभारी को होगा।
- 35 मुझे निविदा की उपरोक्त समस्त शर्तें मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

हिस्सेदार के हस्ताक्षर मय दिनांक

नाम :-
पता:-
मो. न.:-


DEAN

College of Agriculture
BASERI, DHOLPUR (RAJ.)





होगी तथा कृषि
क्षति को क्षतिपूर्ति
काटार्ड
के

5

कृषि महविद्यालय, बसेडी-धौलपुर

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

निविदादाता द्वारा प्रतिशत हिस्सा का विवरण

वित्तीय निविदा प्रपत्र-1

क्र. सं.	फसल	विवरण	निविदादाता द्वारा प्रस्तावित स्वयं का हिस्सेदारी प्रतिशत	विशेष विवरण
1	ढैंचा	दाना		

नोट:- चारा उपज का सम्पूर्ण हिस्सा निविदादाता द्वारा रखा जायेगा।

हस्ताक्षर ठेकेदार





